

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2024—ज्येष्ठ 17, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2024

क्र. 789-1976695-2024-साप्रवि-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-2374(दो-1-4-2024), दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 15 मार्च 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 10 मार्च 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम,

1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2024

क्र. एफ5-04-2022-साप्रवि-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रोहित आर्य, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 27 अप्रैल 2024 की स्थिति में महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :—

अर्द्धवेतन अवकाश शेष पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
अवकाश का शेष

2615

880

440

(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रोहित आर्य, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 27 अप्रैल 2024 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के पत्र क्र. एल 12023-2012 ज. स., दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार अधिकतम 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कट्टेसरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2024

क्र. 2222-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है :-

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री हेमन्त कुमार जोशी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस), उच्च न्यायालय, जबलपुर.	विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी. ए.) एक्ट, सीहौर.
2	श्री नरसिंह बघेल, रजिस्ट्रार (I & L), उच्च न्यायालय, जबलपुर.	15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.
3	श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W & I), उच्च न्यायालय, जबलपुर.	17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.
4	श्री विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, जबलपुर.	आठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

5 श्री अभिषेक गौर, विशेष
कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च
न्यायालय, जबलपुर.

पांचवें जिला एवं अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश, देवास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024

क्र. 1092-ईपंजी-1979178-2024-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुली कॉलोनी, उज्जैन को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल उज्जैन के रूप में घोषित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल चन्द्र नागर, उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2024

क्र. एफ-15-01-2022-इकतालीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2022 द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित राज्य कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इंसीडेंट रिस्पॉन्स टीम (State Computer Security Incident Response Team-SCSIRT) की सुस्पष्ट पहचान की दृष्टि से इस संस्था का नाम MP-CERT (Madhya Pradesh Computer Emergency Response Team) रखे जाने तथा संस्था का प्रतीक चिन्ह (LOGO) का संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार अनुमोदन किया जाता है।

संलग्न-परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.



Design Brief : Logo/ Emblem, MPCERT



1 The logo for "MADHYA PRADESH Computer Emergency Response Team" seamlessly merges elements of security and technology, reflecting its commitment to safeguarding against cyber threats.

2 The design features a protective shield encircling a sturdy lock. The shield, a timeless emblem of defense, signifies the proactive vigilance MPCERT maintains over cyber threats, shielding against breaches and vulnerabilities. At the heart of the emblem, the lock stands as a potent symbol of security and resilience, representing MPCERT's unwavering dedication to fortify digital infrastructures. And an orange WiFi symbol, radiating strength and connectivity. This emblem not only underscores MPCERT's commitment to combating cyber threats but also signifies its role in fostering awareness and connectivity within the digital realm. The vibrant orange hue serves as a beacon of caution & strength, making individuals aware of the importance of cyber vigilance.

3 The color palette predominantly features varying shades of blue, evoking a sense of trust, stability, and integrity. From vibrant azure to deep navy, these hues mirror the team's depth of expertise and steadfast dedication to safeguarding digital assets.

4 The sleek font, 'Trajan Pro' underscores modernity and professionalism, echoing MPCERT's cutting-edge approach in combating cyber risks. Together, these elements epitomize MPCERT's mission to be the frontline guardians of digital safety.

5 Together, the elements form a dynamic emblem that conveys strength, vigilance, and reliability the hallmarks of MADHYA PRADESH Computer Emergency Response Team's unwavering commitment to cyber security.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2024

क्र. 1036-1974105-2024-पचास-2.—महिला एवं बाल विकास विभाग पत्र क्रमांक 683-1784165-2023-पचास-2, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा आदेशित "राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय के नियम 87 के तहत माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे (सेवानिवृत्त) को किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है" को प्रतिसंहत (Withdraw) करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), आदर्श संशोधन नियम 2022 (मूल नियम 2016) के नियम 87 के उपनियम (2) के साथ वर्णित नियम, 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन हेतु तीन वर्ष के लिए राज्य स्तर पर उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति में अध्यक्ष पद पर माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश को मनोनीत करता है.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2024

क्र. 1074-2055260.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्योपुर	श्योपुर	सुश्री ऋचा भट्ट, JMFC

No. 1074-2055260.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sheopur	Sheopur	Sushri Richa Bhatt, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

निवाड़ी, दिनांक 29 मई 2024

क्र. 98-वरि. शा.-कले.नि.-2024.—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 3 सहपठित मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-13-1-75-दो-अ(3), दिनांक 5 फरवरी 1975 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, श्री सतीश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी को तहसील निवाड़ी एवं ओरछा के अपनी सीमा अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी (कॉम्प्यूटेंट अथॉरिटी) नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी नियुक्त किये जायेंगे वे मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पदेन सक्षम अधिकारी (कॉम्प्यूटेंट अथॉरिटी) रहेंगे.

क्र. 99-वरि. शा.-कले.नि.-2024.—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 3 सहपठित मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-13-1-75-दो-अ(3), दिनांक 5 फरवरी 1975 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, श्री अनुराग निंगवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पृथ्वीपुर को तहसील पृथ्वीपुर के अपनी सीमा अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी (कॉम्प्यूटेंट अथॉरिटी) नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पृथ्वीपुर नियुक्त किये जायेंगे वे मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पदेन सक्षम अधिकारी (कॉम्प्यूटेंट अथॉरिटी) रहेंगे.

अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 100-भू-अर्जन-2024

खरगोन, दिनांक 7 मार्च 2024

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन	झिरन्या	बेडछा	14.732	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन	" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "

—: अनुसूची (2) :-

" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " ग्राम- बेडछा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
273, 302/2/3, 303/2, 303/3, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 389, 392/1, 392/2, 394/2, 396/1/1, 398/1/1, 397, 399, 400/1, 400/2, 400/3/1, 400/3/2, 400/4, 401/1, 401/2	14.732

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 99-भू-अर्जन-2024

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के पत्र क्रमांक 1903/कार्य/भू-अर्जन/बेडछा ता./2023, खरगोन दिनांक 30.05.2023 से " बेडछा तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-था. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं विहित प्राधिकारी म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

क्रं.	तहसील	ग्राम का नाम	प0ह0न0	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	झिरन्या	बेडछा	20	14.732	" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 01-अ-82-22-23-6473

श्योपुर, दिनांक 22 मई 2024

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम सेहुला प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त -03 गसवानी तहसील - विजयपुर, उपखण्ड -विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 0.86 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सेहुला प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसवानी तहसील - विजयपुर, उपखण्ड -विजयपुर, जिला - श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है!

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला	श्योपुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	सेहुला
(घ) लगभग	0.86 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	251/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सेहुला भूमि स्वामी
2	71/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.200	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमि स्वामी
3	72/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमि स्वामी
4	70/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम सेहुला भूमि स्वामी
योग				0.86	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
- कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है ! इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 02-अ-82-22-23-6482

(भू -अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन,विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम फरारा प.ह.क्र. 45 राजस्व निरीक्षक वृत्त -03 गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड -विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फरारा प.ह.क्र. 45 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड -विजयपुर , जिला - श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1.भूमि का वर्णन

(क) जिला	श्योपुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	फरारा
(घ) लगभग	0.180 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	412/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी
*2	417	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	रामचरण पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमिस्वामी
			योग	0.180	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला ,लौह ,पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
- कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है ! इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 03-अ-82-22-23-6480

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त -03 गसमानी तहसील - विजयपुर, उपखण्ड - विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 18.405 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील - विजयपुर, उपखण्ड - विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है!

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

- (क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) लगभग

श्योपुर
विजयपुर
बिनेगा
18.405 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	326	भू-दान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.470	जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि.बिनेगा भूदान भूमिस्वामी
2	327/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.052	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक
3	327/2	भू-दान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.501	कुन्दन पुत्र सुखू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुखूजाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी
4	330/2	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	1.095	गोपाल पुत्र कमलसिंह जाति रावत पता दाउद पुर भू-दान कृषक
5	328	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.398	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा समान

					भाग 2/3 भाग भू- दान कृषक
6	329/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.731	मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी
7	334	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	1.108	लखन पुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भूदान भूमिस्वामी मु. साबो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी कमला, गुडडी नावा. पुत्रीया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2समान भाग भूदान भूमिस्वामी
8	307	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
9	306	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.386	हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
10	300/4	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.585	तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति ओड पता बिनेगा भूमि स्वामीशासकीय पट्टे से
11	300/6	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.147	छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
12	291	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.700	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
13	335	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	गुलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पता विजयपुर भूमि स्वामी
14	336	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.041	पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी
15	298	भू-दान	कृषि भूमि	0.481	राजेश पुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता बिनेगा भू- दान कृषक
16	296	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
17	292	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	चेऊराम पुत्र कुढेरी जाति गुर्जर पता बिनेगा भूमि स्वामी
18	295	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
19	294	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
20	274/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	कुन्दन पुत्र सुखू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा,वैजन्ती पुत्रियां सुखू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी

21	274/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
22	271/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
23	271/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397	साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमला,गुड्डी ना.बा. पुत्रीयाँ ल्होरियासर. माँखुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि
24	270	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.156	उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
25	255	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	उम्मेद सिंह,बद्री सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
26	254	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	उम्मेद सिंह,बद्री सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
27	268	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
28	267	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
29	265	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा,वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
30	266/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी तेजसिंह(वालिग) पिस्सूदोजा नावालिग पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खो,हन्नी,भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
31	266/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
32	263	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.784	उम्मेद सिंह,बद्री सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
33	275	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.333	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी

34	236/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	रणवीर,निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमि स्वामी मंजेश बेवा हरचरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा. पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा.पुत्री हरचरण सर.माँ खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समान 1/3 भाग भूमि स्वामी
35	232	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.439	सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह, चिरोजी सुघरसिंह, लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2-समान भाग भूमि स्वामी
36	200	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.302	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
37	178	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
38	173	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.400	कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमि स्वामी
39	172	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.081	कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमि स्वामी
40	177	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	सुल्तान अवतार पुत्र होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
41	203	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	उम्मेद सिंह,बद्री सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
42	204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.324	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी
43	208	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10

					गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुधरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी
44	209	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449	विशम्भरदयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकड पता निवासी नेहरखेडा भूमि स्वामी
45	184	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	उम्मेदसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
46	67/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.320	बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि.सेहुला भाग 2033/4065 भूमि स्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 677/4065 भूमि स्वामी
47	65/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.888	सतीशकुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग जाति वैश्य पता बिनेगा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
48	85	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.805	चौह पुत्र दुरजन जाति सेहर पता बिनेगा भूमि स्वामी
49	64/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.500	सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता मन्जू लक्ष्मी पुत्रिया तेजसिंह जाति जाटव पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
50	64/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.880	अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनेगा भूमिस्वामी
51	308	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.141	हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
			योग	18.405	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र विन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
- कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 04-अ-82-22-23-6476

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त -03 गसमानी तहसील - विजयपुर, उपखण्ड -विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 1.41 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील - विजयपुर, उपखण्ड -विजयपुर, जिला - श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

- (क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) लगभग

श्योपुर
विजयपुर
नेहरखेड़ा
1.41 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
*1	2	3	4	5	6
1	1197	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.170	नेतूरामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीतासर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
2	1207	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.130	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
3	1208	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
4	1200	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.300	रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग 1/2 करई पुत्री नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

5	1204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार
6	1039	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.610	वंठन, महेश पुत्रगण नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
			योग	1.410	

- 1 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला ,लौह ,पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 05-अ-82-22-23-6478

(भू -अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन,विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम **धोबनी** प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त -03 गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड -विजयपुर जिला श्योपुर में कुल **8.464 हेक्टेयर** भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम **धोबनी** प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड -विजयपुर जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) लगभग

शयोपुर
विजयपुर
धोबनी
8.464 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	497/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि
2	497/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	497/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	496	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.092	सज्जन,ओमी, दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गित्री,लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
5	495/2	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.011	नथुआ, प्रहलाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौ प्रयागो, रामो पुत्रियां जादौ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
6	495/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.011	जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी

7	478	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी राजो बेवा मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी बाबूलाल, द्वारिका प्रसाद (बालिग), ओमप्रकाश ना.बा. पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीकिसन (नाबालिग) पुत्र देवीरामसरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी
8	517	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.283	सज्जन, ओमी.दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गित्री, लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त मां खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
9	510/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.0680	जगराम पुत्र मानसिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग सहोदी पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग मथुरा पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग भूमि स्वामी
10	510/2	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.0680	जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी
11	508/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	गयाबाई बेवा चिन्टू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	507/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.1810	जगराम पुत्र मानसिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग सहोदी पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग मथुरा पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग भूमि स्वामी
13	507/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.1820	जादौ पुत्र चतुरा जाति धाकड़ पता ग्राम भूमि स्वामी
14	508/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	मु. चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी

15	503	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.200	कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण पता धोबिनी भूमि स्वामी
16	646/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17	646/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18	384	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमि स्वामी
19	421	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.249	सुरेश कुमार कृष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20	417	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.137	हरिज्ञान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी कमला, लीला पुत्रियाँ सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबालिग पुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिग पुत्री रामचरण सर.माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु. कलावती बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमि स्वामी मुरारीपुत्र रामजीलाल मु. गयाबेवा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्द्र 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी
21	36/2/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.742	प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समान भाग भूमि स्वामी
22	471	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	पूरन, लखन, विजय, वीरेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी गिराज, अमरसिंह पुत्रगण जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गीता, जानकी, लीला, त्रिवैनी, पुत्रिया जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी वेवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
23	473	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.241	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता ग्राम भूमि स्वामी
24	480	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	चरण पुत्र कुडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता

					निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदार पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14
25	485	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
26	483	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
27	484	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
28	467/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.363	कमरलाल,केलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा,रेखा पुत्रीगण कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
29	24/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	2.070	बैजन्ती बेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमि स्वामी
30	24/4/5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भूमि स्वामी
31	22/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.450	विनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता

					नि. धोबनी भूमि स्वामी
32	486	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
33	516	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.109	दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवसी ग्राम धोबिनी भू-स्वामी
34	34/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.463	प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी
			योग	8.464	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-7141-भू-अर्जन-2024-नस्ती क्र. 14-2024 एलए

खण्डवा, दिनांक 24 मई 2024

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा- मांघाता तहसील पुनासा	मोरटक्का	6.580 है.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा	इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

—: अनुसूची (2) :-

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के द्वारा प्रस्तावित इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.
एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु.

. ग्राम- मोरटक्का की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
190/1, 189/1, 203, 204, 205/2, 208, 117/1, 114, 115, 538, 537/2, 537/3, 539/2, 805, 804, 806, 801, 792, 800, 793, 797, 796/1, 796/2, 795/1, 795/2, 775, 776/ 1, 774/3, 776/2, 778/3, 778/1, 778/2, 777/1, 777/2, 779, 764/1	6.580
योग :- कुल खसरा 36	कुल रकबा- 6.580

नोट:- 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-14-7142-भू-अर्जन-2024-नस्ती क्र. 14-2024 एलए

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु एक रेखण में आ रही निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अ.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	टप्पा-मांघाता तहसील-पुनासा	2	मोरटक्का	6.580	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु
				योग	6.580	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-14-7150-2024-एलए-नस्ती क्र. 14-2024 एलए

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु एक रेखण में आ रही निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014 -सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अ.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	टप्पा-मांधाता तहसील-पुनासा	07	कोठी	1.135	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु
				योग	1.135	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-7151-भू-अर्जन-2024-नस्ती क्र. 14-2024 एलए

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

— प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 – सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा- मांधाता तहसील पुनासा	कोठी	1.135हे.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा	इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

—: अनुसूची (2) :-

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के द्वारा प्रस्तावित इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन. एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु .

ग्राम- कोठी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)
1	2
8/2/2, 272	1.135हे.
योग :- कुल खसरा 2	कुल रकबा- 1.135हे.

नोट:- 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-7152-भू-अर्जन-2024-नस्ती क्र. 14-2024 एलए

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा- मांघाता तहसील पुनासा	मोरघडी	0.941हे.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा	इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

—: अनुसूची (2) :-

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के द्वारा प्रस्तावित इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन. एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु हेतु

ग्राम- मोरघडी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
18, 19, 20, 23, 24, 25, 12/2, 29/1, 31	0.941
योग :- कुल खसरा 9	कुल रकबा- 0.941

नोट:- 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-14-7153-एलए-2024-नस्ती क्र. 14-2024 एलए

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु एक रेखण में आ रही निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014 -सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अ.कं.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	टप्पा-मांघाता तहसील-पुनासा	2	मोरघडी	0.941	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टैंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु
				योग	0.941	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0...../भू-अर्जन/2024 दि0 12/3/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बर्ती	0.2880 हे.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (य./स.) संभाग सतना जिला सतना (म0प्र0)	सतना जिले के अंतर्गत रामपुर, सगौनी, तापा, बगहाई, रघुनाथपुर, रामनगर, गझियार, बर्ती, गढ़वा खुर्द, खोहर, रेहुटा मार्ग लम्बाई 35.92 कि.मी. की शेष लम्बाई 2 35 कि.मी. सुगम आवागमन हेतु सड़क निर्माण।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-264-भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 13 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेफल (हे0में)	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	हुजूर	गोविन्दगढ़	लगभग 12.00 हे0	संभागीय प्रबंधक म0प्र0 सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा	सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भरतपुर (भिसरहा) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना टू लेन विथ वेल्ड शोल्डर डामरीकृत मार्ग का नव निर्माण बायट

1. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2024

क्रमांक / 950 / 833400 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 21°52'30.000" से 21°52'39.352" उत्तर अक्षांश तथा 80°21'33.507" से 80°21'44.904" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- बालाघाट

वनमण्डल - दक्षिण बालाघाट (सा0)

तहसील - परसवाड़ा

वन परिक्षेत्र - बालाघाट (सा0)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	सुकलदण्ड	सुकलदण्ड	निजी भूमि	05 (F)	4.500	उत्तर- आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 86 से 88 तक की वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वन खण्ड के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 88 से प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक और मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा और मुनारा क्रमांक 08 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 86 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	4.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC030/2016-BHO/Part-1/411.No.8-112/2008-FC दिनांक 06 जुलाई, 2018 एवं आदेश क्रमांक 6-MPC030/2016-BHO/Part-1/376 दिनांक 09 मई, 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स, मेन रोड बालाघाट की स्वीकृत परियोजना मेंगनीज ओर खनिज के उत्खनन में प्रभावित 4.300 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्रमांक/1259/ख.लि.-02/18 दिनांक 24.09.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार परसवाड़ा, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2024

क्र.-990-833400-2022-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-990-833400-2022-दस-3.-, दिनांक 29 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2024

No./950 /833400/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21^o52'30.000" to 21^o52'39.352" North Latitude and 80^o21'33.507" to 80^o21'44.904" East Longitude.

SCHEDULE

District - Balaghat

Tahsil - Paraswada

Forest Division - South Balaghat (Territorial)

Forest Range - Balaghat (Territorial)

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Sukaldand	Sukaldand	Private Land	05 (P)	4.500	North - Forest boundary from Pillar No. 86 to Pillar No. 88 of compartment no. 141 of Reserve forest block. East - Artificial forest boundary from Pillar no. 88 of compartment no. 141 of Reserve Forest block to Pillar No. 1 and Pillar no. 1 to Pillar no. 2 of Proposed forest block. South - Artificial forest boundary of Pillar no. 2 to Pillar no. 5 of Proposed forest block. West - Artificial forest boundary of Proposed forest block from Pillar no. 5 to Pillar no. 8 and from Pillar no. 8 to Pillar no. 86 of compartment no. 141 of Reserve forest block.
				Total	4.500	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC030/2016-BHO/Part-1/411 dated 06 July, 2018 and in lieu of 4-500 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Manganese Ore Khanij Uttkhanan of M/s A.P. Trivedi Sons, Main Road, Balaghat, the above mentioned Non Forest Land of 4-500 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.1259/ख.लि.-02/18 Dated 24.09.2018 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per Competent Revenue Officer report (Certificated) of Tehsildar Paraswada, District Balaghat are as under.

1. Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2024

क्रमांक 16/न्यायिक/2024 पुलिस अधीक्षक रीवा का पत्र क्रमांक पु.अ./रीवा/एसी-1/पी-4741ए/2024 दिनांक 17/01/2024. एवं म0प्र0 शासन गृह विभाग क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30/07/2010 एवं ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक-एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11/10/2004 के तहत रीवा में नए थानों के सृजन, स्थानीय आवादी की वृद्धि भौतिक संरचना एवं अपराधों के परिदृश्य में आये बदलाओं को दृष्टिगत रखते हुए थाना की सीमा/अधिकार क्षेत्र का पुर्ननिर्धारण हेतु समीक्षा की जाकर आमजन की सुगमता के लिए थाना सीमा का परिशीलन के निर्धारण के लिए प्रस्ताव आहुत कर स्थानीय जनप्रतिनिधि के सुझाव भी सम्मिलित कर जिला रीवा के थानों के सीमा का पुर्ननिर्धारण हेतु सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न प्रस्तावित सूची थाना सीमा को युक्तियुक्त करने के लिए इस कार्यालय में प्राप्त प्रस्ताव, पर आज दि. /1/24 को म0प्र0 शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा उपरान्त दण्ड प्रकिया की धारा 2 खण्ड-एस के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं श्रीमती प्रतिभा पाल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म0प्र0) एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, निम्नानुसार ग्रामों को नवीन पुलिस थाना क्षेत्रों में सम्मिलित करते हुए, थानों की सीमा का पुर्ननिर्धारण करती हूँ।

क्र0	अनुभाग	वर्तमान थाना	मोहल्ला/ग्राम क्षेत्र का नाम	वर्तमान थाने से दूरी	प्रस्तावित जोड़े जाने वाले थाना का नाम एवं उससे दूरी	प्रस्तावित थाना का नाम (थाने से जोड़ा जाना)
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगर पुलिस अधीक्षक रीवा अनुभाग	कोतवाली	रतहरा,	07से11 किमी.	थाना समान से 2.5 कि.मी.	थाना समान
2.		कोतवाली	रतहरी,	07से11 किमी	थाना समान से 2.5 कि.मी.	थाना समान
3.		कोतवाली	मुण्डहा,	07से11 किमी	थाना समान से 2.5 कि.मी.	थाना समान
4.		कोतवाली	जिवला,	07से11 किमी	थाना समान से 2 कि.मी.	थाना समान
5.		कोतवाली	जिवली	07से11 किमी	थाना समान से 2 कि.मी.	थाना समान
6.		कोतवाली	गडरिया	07से11 किमी	थाना समान से 2.5 कि.मी.	थाना समान
7.		कोतवाली	एसएएफ चौराहा से गुड़ चौराहा का पूर्वी क्षेत्र	1.5 किमी.	थाना बिछिया से 300 मीटर	थाना बिछिया
8.		कोतवाली	रीठी,	10 कमी.	थाना बिछिया से 03 कि.मी.	थाना बिछिया
9.		कोतवाली	उमरी,	9 किमी.	थाना बिछिया से 03 कि.मी.	थाना बिछिया
10.		कोतवाली	खाम्हा,,	8किमी.	थाना बिछिया से 03 कि.मी.	थाना बिछिया
11.		कोतवाली	खड्डा,	8किमी.	थाना बिछिया से 02 कि.मी.	थाना बिछिया

12.	कोतवाली	लोही,	6किमी.	थाना बिछिया से 02 कि.मी.	थाना बिछिया
13.	कोतवाली	जोरी	7 किमी.	थाना बिछिया से 02 कि.मी.	थाना बिछिया
14.	कोतवाली	बदराव	4 किमी.	थाना बिछिया से 01 कि.मी.	थाना बिछिया
15.	कोतवाली	बडौडा टोला	4 किमी.	थाना बिछिया से 01 कि.मी.	थाना बिछिया
16.	कोतवाली	एस.ए.एफ. चौराहा भौरव मार्ग में पड़ने वाले मोहल्ले 01, बेलौहन टोला, मालवी मार्ग, बिछिया तकिया होते हुए नदी चौराहे तक बाएँ तरफ का वह सम्पूर्ण क्षेत्र जो थाना सिटी कोतवाली शीवा में आता है	02 से 03 कि.मी.	500 मीटर	बिछिया
17.	सिटी कोतवाली	गुड रोड से लोही ब्रिज एवं उत्तरी भाग का सम्पूर्ण भाग जो कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है ।	03 कि.मी.	02 कि.मी.	समान
18.	सिटी कोतवाली	लोही ब्रिज से रतहरा ब्रिज तक सिंग रोड के पूर्व एवं पश्चिमी भाग जो क्षेत्र कोतवाली थाना में आता है ।	04 कि.मी.	02 कि.मी.	समान
19.	सिटी कोतवाली	रतहरा ब्रिज से इटौरा बायपास बाला रोड रतहरा ब्रिज से पश्चिम में नहर तक का वह भाग जो थाना कोतवाली में आता है सम्पूर्ण क्षेत्र ।	05 कि.मी.	2.5 कि.मी.	समान
20.	सिटी कोतवाली	रतहरा ब्रिज से इटौरा बायपास में रोड में नहर तक दक्षिणी भाग एवं समान ब्रिज से रतहरा रोड का उत्तरी भाग का सम्पूर्ण क्षेत्र	05 कि.मी.	2.5 कि.मी.	समान
21.	बिछिया	कनौजा	12 किमी	चौकी शिवपुरा थाना गोविन्दगढ़ से 04 किमी	चौकी शिवपुरा थाना गोविन्दगढ़

22.	धुरहेटी	12 किमी	चौकी शिवपुरी थाना गोविन्दगढ़ से 04 किमी	चौकी शिवपुरी थाना गोविन्दगढ़
23.	मुसुड़ी	13 किमी	चौकी शिवपुरी थाना गोविन्दगढ़ से 05 किमी	चौकी शिवपुरी थाना गोविन्दगढ़
24.	ग्राम बरा-396,	09 कि.मी.	थाना सगरा से 07 कि.मी.	सगरा
25.	ग्राम टिकुरी	10 कि.मी.	थाना सगरा से 05 कि.मी.	सगरा
26.	विश्वविद्यालय अमहिया	03कि.मी. से 05 कि.मी.	1.5कि.मी. से 2.5 कि.मी.	थाना बिछिया
27.	समान	2.5 कि.मी. से 04 कि.मी.	01 से 1.5 कि.मी.	थाना अमहिया

28.	चोरहटा	पीटीएस रोड तक, द्वारिका नगर, रवीन्द्र नगर का वह भाग जो थाना समान में आता है सम्पूर्ण क्षेत्र	20 कि.मी.	04 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
29.	चोरहटा	कपसा	20 कि.मी.	04 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
30.	चोरहटा	चौरा	22 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
31.	चोरहटा	रहट	22 कि.मी.	08 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
32.	चोरहटा	हर्दी	20 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
33.	चोरहटा	बम्हौरी	22 कि.मी.	09 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
34.	चोरहटा	खड्डा	22 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
35.	चोरहटा	अमरा	22 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
36.	चोरहटा	संव	19 कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
37.	चोरहटा	कंजी	20 कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
38.	चोरहटा	रूपौली	22 कि.मी.	10 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
39.	चोरहटा	मकरवट	20 कि.मी.	10 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
40.	चोरहटा	सोनौरी	21 कि.मी.	08 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
41.	चोरहटा	बुठहाई	17 कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सेमरिया
42.	गुड़	डिहली	25 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 05 कि.मी.	चौकी मनिकवार

43.	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शीवा	गुढ़	तमरादेश	20 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 09 कि.मी.	थाना मनगवां चौकी मनिकवार थाना मनगवां	
44.		गुढ़	अमवा05	20 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 05 कि.मी.	थाना मनगवां व गोविन्दगढ़	
45.		गुढ़	जरहा	18 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 09 कि.मी.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	
46.		गुढ़	गौरा अभिलिहा	14 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 06 कि.मी.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	
47.		गुढ़	पांती	20 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 02 कि.मी.	चौकी शिवपुरवा थाना गोविन्दगढ़	
48.		गुढ़	अमिरिती	15 कि.मी.	चौकी शिवपुरवा थाना गोविन्दगढ़ से 07 कि.मी.	चौकी शिवपुरवा थाना गोविन्दगढ़	
49.		रायपुर कर्चु0	महुली	30 कि.मी.	थाना मनगवां से 11 कि.मी.	थाना मनगवां	
50.		रायपुर कर्चु0	सोनारूपा	26 कि.मी.	थाना मनगवां से 08 कि.मी.	थाना मनगवां	
51.		रायपुर कर्चु0	उधरेगा	25 कि.मी.	थाना मनगवां से 10 कि.मी.	थाना मनगवां	
52.		रायपुर कर्चु0	लखैया	25 कि.मी.	थाना बिछिया से 07 कि.मी.	थाना बिछिया	
53.		रायपुर कर्चु0	सेदुरा	24 कि.मी.	थाना सगरा से 01 कि.मी.	थाना सगरा	
54.		रायपुर कर्चु0	लौआ कोठार	25 कि.मी.	थाना सगरा से 03 कि.मी.	थाना सगरा	
55.		रायपुर कर्चु0	टटिहरा	30 कि.मी.	चौकी मनिकवार से 04 कि.मी.	चौकी मनिकवार मनगवां	
56.		रायपुर कर्चु0	पुरास	20 कि.मी.	थाना गुढ़ से 06 कि.मी.	थाना गुढ़	
57.		रायपुर कर्चु0	पतोता	20 कि.मी.	थाना गुढ़ से 05 कि.मी.	थाना गुढ़	
58.		रायपुर कर्चु0	सिगटी	15 कि.मी.	कोतवाली से 08 कि.मी.	कोतवाली	
59.		रायपुर कर्चु0	अमिलिया	12 कि.मी.	सगरा से 08 कि.मी.	सगरा	
60.		रायपुर कर्चु0	खजुआमन	12 कि.मी.	सगरा 12 कि.मी.	सगरा	
61.		सगरा	पडरा	13 कि.मी.	थाना रायपुर कर्चु0 से 03 कि.मी.	थाना रायपुर कर्चु0	
62.		मनगवा/गंगेव	करारी	23 कि.मी.	थाना बैकुत्तपुर से 03 कि.मी.0	बैकुत्तपुर	
63.		मनगवा/गंगेव	बेलवा कुर्मियान	20 कि.मी.	चौकी लालगाव थाना गढ़ से 10 कि.मी.	चौकी लालगाव थाना गढ़	

64.	एसडीओपी मनगावां, सिरमौर अनुभाग	बैकुण्ठपुर	बेलवा बड़गैयान	18 कि.मी.	चौकी लालगांव थाना गढ़ से 10 कि.मी.	चौकी लालगांव थाना गढ़
65.		बैकुण्ठपुर	सौरा	16 कि.मी.	चौकी लालगांव थाना गढ़ से 10 कि.मी.	चौकी लालगांव थाना गढ़
66.		गढ़/चौकी लालगांव गढ़	फूल	25 कि.मी.	थाना बैकुण्ठपुर से 07 कि०मी०	बैकुण्ठपुर
67.		गढ़	उचाटोला	15 कि.मी.	चौकी गंगेव थाना मनगावां से 05 कि०मी०	गंगेव थाना मनगावां
68.		गढ़	बेला	12 कि.मी.	चौकी गंगेव थाना मनगावां से 06 कि०मी०	गंगेव थाना मनगावां
69.		गढ़	बुसौल	10 कि.मी.	चौकी गंगेव थाना मनगावां से 06 कि०मी०	गंगेव थाना मनगावां
70.		रायपुर कुर्च०	बेलवा पैकान	10 कि.मी.	थाना मनगावां से 05 कि०मी०	थाना मनगावां
71.		रायपुर कुर्च०	पुरवा	10 कि.मी.	चौकी मनिकवार थाना मनगावां से 07 कि०मी०	चौकी मनिकवार थाना मनगावां
72.	एसडीओपी मनगावां अनुभाग	मनगावां	दुबगावां	07 कि.मी.	03 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।
73.		मनगावां	टिकुरी-37	08 कि.मी.	03 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।
74.		मनगावां	कौआडान	10 कि.मी.	05 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।
75.		मनगावां	धवैया फौज	16 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।
76.		मनगावां	सथिनी	15 कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।
77.		मनगावां	सोनवर्षा	10 कि.मी.	05 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।
78.		मनगावां	मजादिपुर	10 कि.मी.	05 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगावां।

79.	मनगवां	पथरहा	10 कि.मी.	02 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज थाना मनगवां।
80.	चौकी भनिकवार थाना मनगवां	तिवरिगावां	15 कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
81.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	कछिगावां	15 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
82.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	भौवार	15 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
83.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	अतरैला	13 कि.मी.	08 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
84.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	मनिकवार नं0-2	15 कि.मी.	04 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
85.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	कोलहा	13 कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
86.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	डिलहा	14कि.मी.	06 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
87.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	सिलपरी	15 कि.मी.	08 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
88.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	दुबहा	12 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
89.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	दुअरा 269 से 275	13 कि.मी.	07 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
90.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	डगडौआ	14 कि.मी.	08 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
91.	चौकी मनिकवार थाना मनगवां	अमवा	15 कि.मी.	09 कि.मी.	चौकी रघुनाथ गंज
92.	पनवार	कोटवा खास	16 कि.मी.	09 कि.मी.	थाना डभौरा

93.	डभौरा	पनवार	कोटवा गोविन्द सिंह	16 कि.मी.	09 कि.मी.	थाना डभौरा
94.	अनुभाग	पनवार	कोटवा कैमोद सिंह	16 कि.मी.	09 कि.मी.	थाना डभौरा
95.		पनवार	पलटनपुर	16 कि.मी.	09 कि.मी.	थाना डभौरा
96.		पनवार	टिकरी	16 कि.मी.	09 कि.मी.	थाना डभौरा
97.		पनवार	बौसाइ	18 कि.मी.	थाना डभौरा 10 कि.मी.	थाना डभौरा
98.		पनवार	बौसाइवा	12 किमी	08 किमी	थाना डभौरा
99.		पनवार	हरदौली	21 किमी	12 किमी	थाना डभौरा
100.		पनवार	ओवरी	24 किमी	15 किमी	थाना डभौरा
101.		पनवार	कोल्हुआ	16 किमी	12 किमी	थाना डभौरा
102.		पनवार	दोदर	17 किमी	08 किमी	थाना डभौरा
103.		पनवार	रघुनाथपुर कछरहा	12 किमी	07 किमी	थाना डभौरा
104.		पनवार	गहिलवार	14 किमी	12 किमी	थाना डभौरा
105.		पनवार	कोटा	10 किमी	05 किमी	थाना डभौरा
106.		पनवार	छिपिया	07 किमी	04 किमी	थाना डभौरा
107.		पनवार	तुर्का पाल्हर	08 किमी	05 किमी	थाना डभौरा
108.		पनवार	खान्धू	21 किमी	14 किमी	थाना डभौरा
109.		पनवार	सेमारिया	22 किमी	15 किमी	थाना डभौरा
110.		पनवार	तिलौ	20 किमी	13 किमी	थाना डभौरा
111.		पनवार	बगरिहा	22 किमी	15 किमी	थाना डभौरा
112.		पनवार	बौसाइ	12किमी	09 किमी	थाना डभौरा
113.		पनवार	कोटवाखास	12किमी	08 किमी	थाना डभौरा
114.		पनवार	बरहुला	15 किमी	03 किमी	थाना अतरैला
115.		पनवार	अग्निहोत्रि टोला	16 किमी	04 किमी	थाना अतरैला
116.		पनवार	मोहनईया प्लाट	12 किमी	02 किमी	थाना अतरैला
117.		पनवार	निबिहन टोला	11 किमी	02 किमी	थाना अतरैला
118.		पनवार	गौजालर	10 किमी	03 किमी	थाना अतरैला
119.		पनवार	टिकैतनपुरवा	16 किमी	06 किमी	थाना अतरैला
120.		पनवार	किटहा	14 किमी	10 किमी	थाना अतरैला
121.		पनवार	कोलाहा	15 किमी	09 किमी	थाना अतरैला
122.		पनवार	बधई की पाटी	13 किमी	07 किमी	थाना अतरैला
123.		पनवार	पतिहन पुर्वा	12 किमी	07 किमी	थाना अतरैला

124.	पनवार	रामनगर	12 कि.मी.	06 कि.मी.	थाना अतरैला
125.	पनवार	पांती	11 कि.मी.	06 कि.मी.	थाना अतरैला
126.	पनवार	पांती सरनाम सिंह	11 कि.मी.	06 कि.मी.	थाना अतरैला
127.	जवा	खरिहानी	15 कि.मी.	चौकी त्योथर थाना सोहागी से 5 कि.मी.	चौकी त्योथर थाना सोहागी
128.	जवा	कुठिला	12 कि.मी.	चौकी त्योथर थाना सोहागी से 6 कि.मी.	चौकी त्योथर थाना सोहागी
129.	जवा	कोनिया कलां	10 कि.मी.	चौकी त्योथर थाना सोहागी से 6 कि.मी.	चौकी त्योथर थाना सोहागी
130.	अतरैला	बदरकोल	22 कि.मी.	थाना जवा से 06 कि.मी.	थाना जवा
131.	बैकुण्ठपुर	बेलवा बडगईयान	15 कि.मी.	10 कि.मी.	चौकी लालगाव थाना गढ़
132.	बैकुण्ठपुर	सथिनी	16 कि.मी.	8.5 कि.मी.	थाना सगरा
133.	बैकुण्ठपुर	मुडियारी	18 कि.मी.	12 कि.मी.	थाना सगरा
134.	बैकुण्ठपुर	दुबगावां	18 कि.मी.	13 कि.मी.	थाना सगरा
135.	बैकुण्ठपुर	झिरिया	17 कि.मी.	12 कि.मी.	थाना सगरा
136.	बैकुण्ठपुर	रौरा	8.6 कि.मी.	8.7 कि.मी.	चौकी लाल गांव गढ़
137.	बैकुण्ठपुर	रौरा उनमूलन	11 कि.मी.	8.6 कि.मी.	चौकी लाल गांव गढ़

नवसृजित थानों में उपरोक्तानुसार तालिका क्रमांक 04 में अंकित ग्रामों को तालिका क्रमांक 07 में उल्लेखित नवीन पुलिस थाना क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। उक्त नवसृजित थानों के संचालन/संपादन व कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करने के लिए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

क्र.-क्यू-3-एस.डब्लू-5317-2024

भिण्ड, दिनांक 30 मई 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रं. 01/1770880/2023/बी-3/दो दिनांक 06.05.2024 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड-एस, में प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ/02(क)9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30जुलाई 2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 व पत्र क्रमांक/03/1770880/2023/बी-3/दो दिनांक 06.05.2024 के पालन में जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक में सर्वसहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं, संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जिला भिण्ड में निम्नानुसार गाँवों/कॉलोनी को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में पुनर्निर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ।

अतः मध्यप्रदेश राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किये जाने हेतु पुनर्निर्धारण निम्नानुसार है:-

क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	गांव/ कॉलोनी का वर्तमान थाना/चौकी	अन्य थाना/चौकी जिसमें पुनर्निर्धारण किया जाना है
01	02	03	04
1.	बीच का पुरा	ऊमरी	देहात
2.	परसोना	ऊमरी	देहात
3.	पेवली	ऊमरी	नयागांव
4.	अन्नायच	गोहद	थाना मौ (चौकी झांकरी)
5.	कलियानपुरा (कल्यानपुरा	गोहद	थाना मौ (चौकी झांकरी)
6.	श्यामपुरा	गोहद	थाना मौ (चौकी झांकरी)
7.	हनुमंतपुरा	गोहद	थाना मौ (चौकी झांकरी)
8.	ईश्वरी	नयागाव	ऊमरी
9.	सौंधा	गोरमी	गोहद चौराहा
10.	मानपुरा	गोरमी	गोहद चौराहा
11.	धीर सिंह का पुरा,पीपरपुरा	गोरमी	गोहद चौराहा
12.	रिदौली (रिदौली पुरा,मठी पुरा)	पावई	अटेर
13.	रमटा (रमटा कालौनी)	पावई	अटेर
14.	अजनौल	बरासों	मेंहगांव
15.	सिलौली	बरासों	मेंहगांव
16.	कुपावली	अमायन	भारौली

17.	धौरका	अमायन	बरासों
18.	सोई	फूप	सुरपुरा
19.	जनौरा	फूप	सुरपुरा
20.	कल्याणपुरा	फूप	सुरपुरा
21.	बौरेश्वर	फूप	सुरपुरा
22.	चिन्कुपुरा(रुध्रसरकार)	गोहद चौराहा	गोहद
23.	ऐठपुरा	एण्डोरी	गोहद चौराहा
24.	विशवारी	एण्डोरी	गोहद चौराहा
25.	सुहांस	एण्डोरी	गोहद चौराहा
26.	जलपुरा	अटेर	सुरपुरा
27.	जलपुरी	अटेर	सुरपुरा
28.	दैपरा	अटेर	पावई
29.	सोनेलाल का पुरा	अटेर	सुरपुरा
30.	चक गोहदपुरा	अटेर	सुरपुरा
31.	लडसापुरा	आलमपुर	दबोह
32.	संसीगढ	आलमपुर	दबोह
33.	मल्लपुरा	भारौली	बरासों
34.	अजनोज	बरासों	मेंहगांव
35.	सिलौली	बरासों	मेंहगांव
36.	कुपावली	अमायन	भारौली
37.	धैरका	अमायन	बरासों
38.	श्यामपुरा	गोहद चौराहा	मेंहगांव
39.	जेतपुरा	गोहद चौराहा	मेंहगांव
40.	विजयपुर	बरोही	मेंहगांव
41.	लाढमपुरा	बरोही	मेंहगांव
42.	रायपुर	बरोही	मेंहगांव
43.	गोना हरदासपुरा	बरोही	मेंहगांव
44.	कतरौल	मौ	मेंहगांव
45.	दंदरौआ	मौ	मेंहगांव
46.	पडकोली	मौ	मेंहगांव
47.	चिरोल	मौ	मेंहगांव
48.	चन्देनी	पावई	गोरमी
49.	पचेरा गोरमी	पावई	गोरमी
50.	डिडोना	पावई	गोरमी

संजीव श्रीवास्तव, जिला दण्डाधिकारी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2024

क्रमांक- एफ-3/98/2012/32 :: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) की धारा 19 की धारा 23-'क' की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1937/उपा/टीसी/49/201 दिनांक 27/05/2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	प्रारंभिक सूचना के अनुसार खसरा क्रं.	वर्ष 2022-23 के पी-2 फार्म के अनुसार खसरा क्रं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजलपुर	878/1	878/1	0.692	10.513 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		878/2	878/2	0.392			
		919/1/2	919/1/2/2	0.951			
		919/2	919/2/2	1.960			
		921/1, भाग	921/1/2/1, 921/1/2/2, 921/1/3, 921/1/4	0.262			
		888	888	0.745			
		877/2	877/2/2	0.628			
		877/1	877/1	0.651			
		887/1/1	887/1/1	0.258			

		887 / 2	887 / 2	0.162			
		920	920 / 2	3.812			
		921 / 3 / 1	921 / 3 / 1 / 2	0.108	2.026 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		921 / 3 / 2	921 / 3 / 2	0.348			
		921 / 3 / 3	921 / 3 / 3	0.348			
		921 / 3 / 4	921 / 3 / 4	0.348			
		921 / 3 / 5	921 / 3 / 5	0.348			
		922 / 2	922 / 2	0.526			
2	पिपल्याराव	213 / 1	213 / 1 / 4	0.440	1.783 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		213 / 2	213 / 2	1.343			
	कुल क्षेत्रफल				14.322 हेक्टेयर		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रू. 34,29,40500 /- (चौतीस करोड़ उन्तीस लाख चालीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) दिनांक 27 / 04 / 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) जिला-इंदौर के चालान क्रमांक-051 / 9999999 / 0217 / 03 / 24 / 000519 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है।
2. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.के.कार्तिकेय, उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2024

क्र. B-1593-दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2024

क्र. A-3697-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1591-दो-2-73-2021.- श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 1 से 2 जून 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1595-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. B-1597-दो-2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाला के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3691-दो-2-15-2019.- श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3693-दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश को दिनांक 28 मई से 1 जून 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3695-दो-2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3988-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 15 से 17 मई

2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3990-दो-2-35-2023.- श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 8 से 10 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3992-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 20 से 25 मई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 24 मई 2024

क्र. A-3932-दो-2-57-2020.— श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 20 से 25 मई 2024 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. A-3935-दो-2-5-2024.— श्री मधुसूदन मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाला के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-3939-दो-2-57-2021.— श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-3941-दो-2-6-2024.— श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 2 से 6 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1774-दो-2-61-2021.— श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1776-दो-2-61-2023.— श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 मई से 1 जून 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 मई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1778-दो-2-34-2019.— श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नर्मदापुरम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाला के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 2 नवम्बर 2021 से 1 नवम्बर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4186-दो-2-101-2017.— श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4188-दो-2-34-2023.— श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 29 जून से 6 जुलाई 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4190-दो-2-32-2018.— श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4192-दो-2-34-2019.— श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, नर्मदापुरम को दिनांक 18 से 28 जून 2024

तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 15 मई 2024

क्र. 2319-स्था.— श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2024 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो मुख्य ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2024

क्र. B-1438.— उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्यायिक) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर 7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500 (रूपये 15600-39100 + ग्रेड पे रु. 5400 छठवें वेतनमान) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. यदि निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी :-

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री श्रीराम भारद्वाज, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
2.	मोहम्मद इरफान, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
3.	श्री यू.के. भेलसेवाले, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
4.	श्री अजय कापरे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
5.	श्री सुनील मोघे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ ग्वालियर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
6.	श्रीमती वसुंधरा मांढरे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ ग्वालियर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर

- | | | | |
|-----|--|-----------------|-------------|
| 7. | श्री विश्वास जोशी, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ ग्वालियर. | मुख्यपीठ जबलपुर | रिक्त पद पर |
| 8. | श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ ग्वालियर. | मुख्यपीठ जबलपुर | रिक्त पद पर |
| 9. | श्री एन.के. हत्तीमारे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ इंदौर. | खण्डपीठ इंदौर | रिक्त पद पर |
| 10. | श्री प्रवीण नारायण ताम्बोली, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) मुख्यपीठ जबलपुर. | मुख्यपीठ जबलपुर | रिक्त पद पर |
| 11. | श्री संजय चित्रकार, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कौंडर) खण्डपीठ इंदौर. | खण्डपीठ इंदौर | रिक्त पद पर |

जबलपुर, दिनांक 21 मई 2024

क्र. B-1724.— उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट एवं ज्यूडीशियल स्टैस्टिकल राइटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) के रिक्त पदों पर मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति 7 वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 (रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4800 छठवें वेतनमान) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी :-

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सुशील कुमार तिवारी, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर

2.	श्री बी.एल. कुशवाहा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	15.	श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
3.	मोहम्मद साबिर, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	16.	श्री मैथ्यू मीनू पोथन, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
4.	श्रीमती मुक्ति मित्रा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	17.	श्री सुशील कुमार वैद्य, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर
5.	श्रीमती ज्योत्सना वाघ, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर	18.	श्री एम. के. श्रीवारत्तव, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
6.	श्रीमती कामिनी वर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	19.	श्रीमती मधु सोनी, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर
7.	श्री स्वदेश कुमार जैन, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	20.	श्री विजय शर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
8.	श्रीमती प्रीति सग्गर, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	21.	श्रीमती इशरत बानो, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
9.	कु. नवाज मरफतिया, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर	22.	श्री राकेश कुमार मेहता, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर
10.	श्रीमती रुषा किरण स्वामी, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	23.	श्री मनीष कुमार साहू, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
11.	श्री संजय गायकी, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	24.	श्री पशुपति नाथ झा, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
12.	श्री विपिन पाण्डे, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	25.	श्री कुंजबिहारी दुबे, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
13.	श्रीमती मनीषा पाल, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर	26.	श्री राकेश कुमार शर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
14.	श्रीमती श्रीयुता चव्हाण, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर	27.	श्री राजू लक्ष्मण चव्हाण, ज्यूडीशियल स्टैटिस्टिकल राइटर, खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप	
(1)	(2)	(3)	(4)	
28.	श्री महेश आ. श्री जगन्नाथ प्रसाद विश्वकर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., खण्डपीठ इंदौर.	खण्डपीठ इंदौर	रिक्त पद पर	करें. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी :-
29.	श्री दीपक कुमार नामदेव, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर	
30.	श्री दीपक कुमार गुप्ता, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर	1. श्री जय जालंधर धारिया, ज्यूडी. प्रूफ. रीडर (इंग्लिश), मुख्यपीठ जबलपुर.
31.	श्री पी.के. विश्वकर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर	2. श्री दिनेश सिंह, सीनि. ज्यूडी. ट्रांसलेटर, मुख्यपीठ जबलपुर. (वर्तमान में खण्डपीठ ग्वालियर में संलग्न)
32.	श्री शशीष कुमार अग्रवाल, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर	3. श्री अरविंद ओंकार जामनिक, स्टाम्प रिपोर्टर (न्या.), खण्डपीठ इंदौर मुख्यपीठ जबलपुर.
33.	श्री दिनेश कुमार तिवारी, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर	
34.	श्रीमती लता विजय शर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर	

मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर

इंदौर, दिनांक 25 मई 2024

क्र. B-1726.— उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित ज्यूडीशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), सीनियर ज्यूडीशियल ट्रांसलेटर, स्टाम्प रिपोर्टर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) के रिक्त पदों पर मुख्यपीठ जबलपुर/ खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति 7 वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 (रुपये 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4800 छठवें वेतनमान) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण

क्र.—अवकाश 874.— श्री अफसर जावेद खान, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर को दिनांक 26 से 30 अप्रैल 2024 तक, कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.